

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02/परी0-09(को0प्र0)-04/2018 744

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-16.04.2019

विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता	प्रशिक्षण-अवधि	संबंधित जिला पदा0/समा0द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह0 की तिथि
01	Pankaj Kumar Shaktidhar, Probationer. Rural Development Officer, Aurangabad	11.11.2013 से 10.12.2013 तक	14.12.2013

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं0सं0-02/परी0-09(को0प्र0)-04/2018 744

पटना, दिनांक- 16.04.2019

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी Aurangabad एवं Pankaj Kumar Shaktidhar, Probationer. Rural Development Officer, Aurangabad को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

16/04/19